कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक/2360 /94/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक 19/11/18

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय- महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में मानदेय भुगतान के संबंध में जानकारी बावत ।

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत महाविद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित/नियुक्त अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्लोबल मद में बजट उपलब्ध कराया गया था । वर्तमान में यह आवंटन बीसीओ मद से आवंटन करने की व्यवस्था की गई है । इसके अंतर्गत पत्र दिनांक 1.11.18 द्वारा राशि का आवंटन किया गया था । इसी अनुक्रम में वर्तमान में कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक राशि की जानकारी एक्सेल प्रोग्राम में विभाग की वेब साईट पर निम्न आन लाईन प्रारूप में दर्ज करने का कष्ट करें जिससे बजट आवंटन के संबंध में आगामी कार्यवाही की जा सके:-

स.क्र.	अतिथि विद्वानों की संख्या	दिनांक 1.4.18 से पूर्व अवधि के लंबित मानदेय भुगतान की राशि(जिसका भुगतान किया जाना शेष है)	वित्तीय वर्ष 2018 -19 में 1.4.18 से 31.10.18 तक मानदेय भुगतान हेतु वांछित राशि	1.11.18 से 31.3.19 तक मानदेय हेतु वांछित अनुमानित राशि	कुल राशि (3+4+5)	कॉलम-6 में उल्लेखित राशि के विरुद्ध अभी तक भुगतान की गई राशि	मानदेय भुगतान हेतु शेष वांछित राशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2. यह देखा गया है कि स्पष्ट निर्देश जारी करने के बाद भी महाविद्यालयों द्वारा प्रपत्रों में स्पष्ट एवं सही-सही व पूर्ण जानकारी निर्धारित कॉलम में दर्ज नहीं की जाती है । माह अक्टूबर,2018 में प्रपत्र में चाही गई जानकारी में भी यह स्थिति निर्मित हुई थी । यह भी परिलक्षित हुआ है कि दर्ज की जा रही जानकारी का कई महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता है जिससे अप्रिय स्थिति निर्मित होती है।

निरंतर.....2

3. अतः कृपया उपरोक्त एक्सेल प्रोग्राम में निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन माड्युल में अतिथि विद्वानो के मानदेन हेतु आवश्यक राशि की जानकारी **दिनांक 24.11.18 तक आवश्यक रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें** । इसके पश्चात एवं मानदेय की राशि हेतु पृथक से प्रस्तुत मांगपत्र पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा और इसके लिये प्राचार्य की जवाबदेही निर्धारित की जावेगी।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा के आदेशानुसार)

(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/2361/94/आउशि/बजट/18
भोपाल, दिनांक- 19/11/18

प्रतिलिपि-

1. डॉ.राकेश श्रीवास्तव,वि.क.अ.(आइ.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल। कृपया पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें एवं उल्लेखित प्रारूप का ऑनलाईन माड्युल एक्सेल प्रोग्राम में विभाग की वेबसाईट पर महाविद्यालयों द्वारा जानकारी दर्ज करने हेतु उपलब्ध कराते हुये बिन्दु-3 अनुसार प्रारंभ करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

E:\New folder\guest_2018-19\letter guest.doc